राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(20)वित्त/कर/2017 जयपुर, दिनांक : 22 SEP 2020

आज्ञा

इस विभाग की आज्ञा संख्या प.7(20)वित्त/कर/2017 दिनांक 05.03.2020 द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2013 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंषा के आधार पर कार्मिक (क–4/2) विभाग के पत्र संख्या प.9(190)कार्मिक/क–4/2/2017 दिनांक 03.08.2017 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम 1971 के नियम 6 के तहत 39 अभ्यर्थियों को राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा में दो वर्ष की कालावधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी) के रूप में इसमें वर्णित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की गई थी।

उक्त आदेश दिनांक 05.09.2017 में वर्णित शर्तो में शर्त संख्या 14 निम्नानुसार थी :–

(14) बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए (उनके नाम के आगे प्रोविजनल अंकित किया गया है) इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त 39 अभ्यर्थियों में से निम्नलिखित 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रोविजनल थी :–

क्र. स.	नियुक्ति आदेश दिनांक 05.09.17 में अंकित क्र. सं.	मेरिट न.	रोल न.	अभ्यर्थी का नाम (सुश्री/सर्वश्री/ श्रीमती)	वर्ग	जन्मतिथि	विशेष विवरण
1	6	114	941246	MOHIT MUNDRA	GE	08.07.1989	प्रोविजनल
2	15	158	923423	PANKAJ GARHWAL	BC, RG	13.01.1982	प्रोविजनल
3	16	159	931908	BHARAT SINGH LAKHAWAT	BC	01.08.1982	प्रोविजनल
4	17	160	910574	RAMESH KUMAR SIYAG	BC	12.12.1982	प्रोविजनल
5	19	168	942271	DEVI CHAND DHAKA	BC, RG, NG	10.04.1976	प्रोविजनल
6	24	191	916638	RAM CHANDRA GURJAR	SB	14.11.1988	प्रोविजनल
7	25	205	911387	ALPNA BISHNOI	GE, WE	12.08.1990	प्रोविजनल
8	26	209	918794	RAJESH KUMAR SHARMA	GE, RG, NG	02.02.1975	प्रोविजनल
9	35	1010	940091	SANJEEV KUMAR VERMA	SC, RG	01.03.1982	प्रोविजनल
10	36	1172	920816	KOMAL JAIN	GE, WE, BL	13.01.1990	प्रोविजनल

उक्त दस अधिकारियों में से 6 अधिकारियों के नियुक्ति आदेश दिनांक 05.09.2017 के अन्तिम कॉलम विशेष विवरण में दर्शाये गये शब्द "प्रोविजनल" को विलोपित करने की स्वीकृति समसंख्यक दिनांक 12.06.2020 को जारी की जा चुकी है।

इस विभाग के आदेश दिनांक 05.09.2017 में क्रमांक 35 पर अंकित श्री संजीव कुमार वर्मा की तत्समय नई दिल्ली से चरित्र सत्यापन रिपोर्ट नहीं आने के कारण नियुक्ति प्रोविजनल की गई थी।

चूंकि श्री संजीव कुमार वर्मा का यह कथन है कि वे किसी भी प्रयोजन से कभी भी दिल्ली में निवासरत नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में कार्मिक विभाग की राय में भी श्री वर्मा का चरित्र सत्यापन दिल्ली से कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति आदेश दिनांक 05.09.2017 के क्रमांक 35 पर अंकित नाम श्री संजीव कुमार वर्मा के सामने विशेष विवरण के कॉलम में दर्शाये गये शब्द **"प्रोविजनल"** को विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग।
8. आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संबंधित अधिकारीगण मार्फत आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव